

परिशिष्ट 3

①

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2022

कमांक एफ 11-142/2021/18-3:: विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 05.01.2022 को अधिकमित करते हुए विधानसभा सत्र दिसम्बर, 2021 में नगर परिषद, सेमरिया के संबंध में पूछे गये तारांकित प्रश्न कमांक 1037 "नियम विरुद्ध निर्माण" की जांच हेतु निम्नानुसार तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम एवं पदस्थापना स्थल
1.	श्री राजेश नागल	संयुक्त संचालक	नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
2.	श्री राजीव गोस्वामी	प्रभारी अधीक्षण यंत्री	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल
3.	श्री प्रदीप मिश्रा	संभागीय प्रभारी अधीक्षण यंत्री	नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर

2/ उक्त जांच समिति तारांकित प्रश्न कमांक 1037 "नियम विरुद्ध निर्माण" की जांच हेतु नगर परिषद सेमरिया से आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर निर्माण स्थल का निरीक्षण एवं संबंधित पक्षों का कथन लेकर परीक्षणोपरांत तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

(तरुण राठी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2022

पू.कमांक एफ 11-142/2021/18-3,
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
2. आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
3. विशेष सहायक, मा.मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला रीवा (म.प्र.)।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग, रीवा। कृपया जांच समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, सेमरिया जिला रीवा (म.प्र.)। जांच समिति को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराना तथा जांच में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
8. समिति के सदस्यगण।
9. आर्डर बुक।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं
आवास विभाग मंत्रालय
भोपाल

ASST. DIRECTOR
Urban Admn. & Devt.